राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (जिला कलक्टर) नागौर

दिनांक : 14-02-2020

क्रमांक : एफ.12(30)/राजस्व/2020/716

संपरिवर्तन आदेश

श्री कानाराम पुत्र श्री केशाराम जाति जाट निवासी बाराणी तहसील नागौर जिला नागौर राजस्थान के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का ''राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007'' के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजनों के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियॉ नीचे दी गई हैं :

1	आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम पिता का नाम/पति का नाम, पता	**श्री कानाराम पुत्र श्री केशाराम जाति जाट निवासी बाराणी तहसील नागौर जिला नागौर राजस्थान**
2	आवेदक क्या अ.जा. या अ.ज.जा. का सदस्य है	नहीं
	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :– क. ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	**ग्राम बाराणी ग्राम पंचायत बाराणी तहसील नागौर**
	ख. भूमि का ख.नं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	**ग्राम बाराणी तहसील नागौर के खसरा नम्बर 525/128 रकबा 5.02 बीघा में से 2021.20 वर्ग मीटर भूमि**
	ग. प्रत्येक खसरा नंबर के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल	**ग्राम बाराणी तहसील नागौर के खसरा नम्बर 525/128 रकबा 5.02 बीघा में से 2021.20 वर्ग मीटर भूमि**
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) प्रयोजनार्थ
5	संदेय प्रीमियम की दर	नियम–7 के अनुसार
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	**चालान संख्या जीआरएन 37724068 दिनांक 13.2.2020 राशि 20220/– (अक्षरे रू बीस हजार दौ सौ बीस मात्र) राजकोष में जमा हो चुके है।**
7	चालान संख्या/तारीख, शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	शून्य
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	शून्य
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम–13 के अधीन जारी किया गया हैं ?	नहीं
10	अन्य विशिष्टियॉ यदि कोई हो तो	—

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :–

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा ।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की समावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी, तथा आवेदक द्वारा प्रीमियम के रूप में जमा करवाई गई राशि प्रत्याहृत हो जायेगी।

जिला कलक्टर, नागौर

PTO

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Krishan Lal
Dy. General Manager-Retail

3. नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा।
4. वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प)प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लियें उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा ।
5. इंडियन रोड कांग्रेस मापदंडानुसार भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोडते हुए एवं यदि इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंडों में वर्णित सडक मार्ग से वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) तक जाने के लिये रास्ता चाहते है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क मार्ग एवं अन्य मार्ग से पेट्रोल पंप तक जाने के लिए रास्ता चाहते है तो सा.नि.विभाग से पूर्वानुमति लेनी होगी एवं सड़क सीमा/राष्ट्रीय मार्ग/राज्यमार्ग आदि की निर्धारित नोर्म्सानुसार दूरी छोड़कर एवं सड़क सीमा में आने वाली भूमि का राज हक में समर्पण करवाकर निर्माण कार्य कराना होगा।
6. उक्त संपरिवर्तन वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) स्थापित करने के लिए इस कार्यालय की अनापत्ति अथवा सहमति नहीं मानी जावे। वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) स्थापित करने के संबंध में संबंधित विभागों की राय के अनुसार कोई भी उचित निर्णय लेने के लिए यह कार्यालय स्वतंत्र रहेगा।
7. संबंधित विभाग की अनापत्ति/सहमति उपरान्त यदि इस रूपान्तरित भूमि पर वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है, तो निकटतम स्थानीय निकाय विभाग एवं नियम के प्रावधानों/मापदण्डानुसार वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) स्थापित करना होगा।
8. नक्शा ब्लयू प्रिन्ट एवं नक्शा ट्रेस को संपरिवर्तन आदेश का हिस्सा माना जावेगा।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर,
नागौर

क्रमांक : सम्/717-25

दिनांक : 14-02-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप खण्ड अधिकारी, नागौर
2. तहसीलदार, नागौर को भेजकर लेख है कि उक्त संपरिवर्तित भूमि का उपयोग निश्चित समयावधि में जिस प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है, उसी उपयोग में ली जा रही है, या नहीं का प्रमाण पत्र अपने स्तर पर लेवें एवं यदि भूमि का उपयोग जिस प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है, उस प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया गया हो, तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवावें।
3. उप पंजीयक, नागौर
4. सरपंच, ग्राम पंचायत बाराणी पंचायत समिति नागौर
5. **श्री कानाराम पुत्र श्री केशाराम जाति जाट निवासी बाराणी तहसील नागौर जिला नागौर राजस्थान**
6. राजस्व लेखाकार, कलेक्ट्रेट, नागौर।
7. तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील कार्यालय नागौर
8. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर,
नागौर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Krishan Lal
Dy. General Manager-Retail

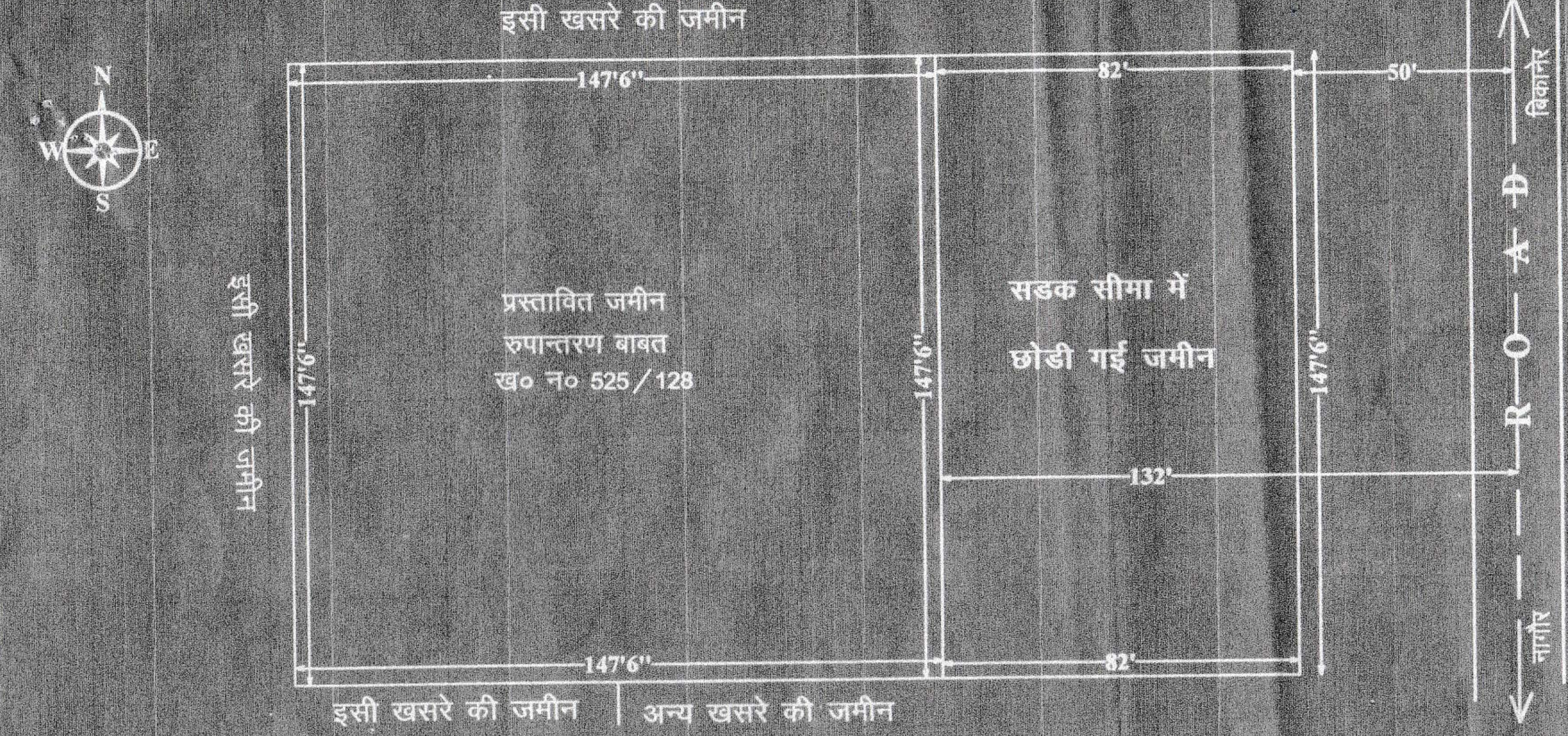

नक्शा ग्राम बारानी त० नागौर के खसरा न0 525/128 रकबा 5.02 बीघा
मे से 2021.20 वर्ग मीटर कृषि भुमी को वाणिज्यक
(पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ मे रुपान्तरण बाबत
प्रस्तुतकर्त्ता = श्री कानाराम पुत्र श्री केशाराम जाति जाट नि० बारानी

क्षेत्रफल प्रस्तावित रुपान्तरण जमीन
ऐरया 147.5 X 147.5 = 21756.25 वर्ग फुट
एंवम 2417.36 वर्ग गज स्टेन्डर्ड
अथवा 2021.20 वर्ग मीटर(1.05बीघा)

क्षेत्रफल सडक सीमा में छोडी गई जमीन
ऐरया 82 X 147.5 = 12095 वर्ग फुट
अथवा 1123.65 वर्ग मीटर

31-12-19

M-9660441488, 9413141488
जियाउद्दीन अन्सारी
नक्शा नवीस, नागौर
रजि.नं.-01/08

कानाराम
C.S.

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नागौर

तहसीलदार, नागौर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
Krishan Lal
Dy. General Manager-Retail